ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2022 का कार्यवृत्त

समय: 12:30 बजे अपराह्न।

स्थान: कुलपति आवासीय कार्यालय का सभागार, नरगौना परिसर, कामेश्वर नगर, दरभंगा।

उपस्थिति:–

1.	प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2	प्रो० डॉली सिन्हा, प्रति–कुलपति	–	सदस्य
3.	डॉ० दिलीप कुमार चौधरी	–	सदस्य
4.	प्रो० विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
5.	प्रो० अजय नाथ झा	–	सदस्य
6.	प्रो० विजय कुमार यादव	–	सदस्य
7.	प्रो० अशोक कुमार मेहता	–	सदस्य
8.	प्रो० नैयर आजम	–	सदस्य
9.	प्रो० एस०के० वर्मा	–	सदस्य
10.	डॉ० लक्ष्मी कान्त झा	–	सदस्य
11.	डॉ० नन्द कुमार	–	सदस्य
12.	प्रो० धनेश्वर प्रसाद सिंह	–	सदस्य
13.	डॉ० हरिनारायण सिंह	–	सदस्य
14.	श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्य
15.	डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
16.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
17.	डॉ० अमर कुमार	–	सदस्य
18.	श्री इम्येसात शौकत	–	सदस्य
19.	प्रो० मुश्ताक अहमद, कुलसचिव	–	सचिव

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलसचिव ने गणपूर्ति पूरी होने की सूचना सदन को दी और कहा कि आज की अभिषद् की बैठक सिनेट की आगामी बैठक से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित की गई है और इस कड़ी की यह दूसरी बैठक है। गत बैठक दिनांक 27.11.2022 के कार्यवृत्त के अन्यान्य मद संख्या 05 के अन्तर्गत टंकण भूल के कारण "कुलसचिव–सह–अध्यक्ष" अंकित हो गया है जिसे "कुलपति–सह–अध्यक्ष" पढ़ा जाय। कुलसचिव ने सूचित किया कि गत बैठक में वित्त पदाधिकारी के कर्त्तव्यों निर्वहन करने हेतु मानदेय निर्धारित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया था, किन्तु विश्वविद्यालय का अनुरोध है कि उक्त निर्धारण यह सदन ही कर दे।

प्रो० अशोक कुमार मेहता ने इस हेतु 50,000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए प्रो० दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि इस मामले को वित्त समिति के माध्यम से अथवा एक समिति गठित कर विश्वविद्यालय प्रस्ताव दे जिस पर यह सदन नियमानुकूल निर्णय ले सकती है. ऐसे गौखिक प्रस्ताव पर विचार करना उचित नहीं होगा। इस हेतु कार्यालय से लिखित रूप में अनुशंसा आनी चाहिये।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री कैलाश राम को वित्त पदाधिकारी के अतिरिक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मानदेय निर्धारित करने के लिए वित्त समिति के सदस्यों में से दो सदस्यों की समिति गठित कर अनुशंसा प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा मानदेय निर्धारित कर ली जाये।

प्रो० विनोद कुमार चौधरी ने प्रश्न उठाया कि जे०एम०डी०पी०एल०एम० कॉलेज, मधुबनी में माननीय एस०बी०सिन्हा आयोग से आदेशित शिक्षकों के प्रोन्नति एवं अन्य लाभ प्रदान करने के प्रसंग में जब माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त हो चुका है तो विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रसंग में अग्रेतर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इससे कई शिक्षक प्रभावित हैं। कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के स्तर पर मामला चल रहा है जिसमें विश्वविद्यालय का पक्ष एवं प्रतिवेदन भी रखे

Scanned with CamScanner

गये है। एक बैठक भी हो चुकी है और दूसरी बैठक भी शीघ्र ही प्रस्तावित है। राज्य सरकार के स्तर पर विचार करने एवं आवश्यक आदेश/निर्देश के बाद ही इस पर कार्रवाई संभव हो सकेगी।

श्रीमती मीना कुमारी ने अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रहे बी0एड0 विभाग के कर्मियों की वेतन विसंगति से संबंधित जाँच समितियों के प्रतिवेदन पर विचार कर निर्णय लेने हेतु कुलपति–सह–अध्यक्ष से अनुरोध किया कि बहुत दिनों से यह मामला लंबित है, इसलिये इस पर आप विचार कर आदेश निर्गत करने की कृपा करें। बहस में भाग लेते हुए प्रो0 हरिनारायण सिंह ने कहा कि पूर्व में दो समितियाँ बनाई गई और दोनों की अनुशंसाएँ भिन्न हैं। आज सदन में तीसरी समिति बनाने की बात हो रही है, यह उचित नहीं है। डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि आय के आधार पर पारिश्रमिक में वृद्धि/समायोजन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रो0 हरिनारायण सिंह ने कहा कि यदि वृद्धि सम्भव नहीं हो तो पूर्व के पारिश्रमिक को कम नहीं किया जाय। डॉ0 विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि पारिश्रमिक घटाने का कोई भी प्रस्ताव उचित नहीं है और यह विधिमान्य भी नहीं होगा।

अध्यक्ष–सह–कुलपति ने नियमन देते हुए कहा कि मामला सिर्फ बी0एड0 का नहीं है, बल्कि यह स्व–वित्त पोषित अन्य सभी विषयों/संस्थानों पर भी लागू होगा और निश्चय ही यह विस्तृत विमर्श का विषय है। इसलिये इस मामले पर निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का प्रस्ताव उचित नहीं है। नियमन देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रसंग में विचार कर निर्णय लेने के लिए अभिषद की एक विशेष बैठक बुलाई जायेगी ताकि उसमें मामले का निष्पादन हो सके।

सदन ने सर्वसम्मति से विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

डॉ0 अगर कुमार ने सदन को सूचित किया कि प्रस्तावित बजट में चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों में कई शिक्षकों के नाम पेंशनर की सूची में छूट गये हैं। उन्होंने इस प्रसंग में छूटे शिक्षकों के नामों की सूची कुलसचिव को उपलब्ध कराई।

सदन ने वित्तीय परामर्शी से इसे देख लेने एवं उचित कार्रवाई करने के लिए कहा।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा महाराजाधिराज डॉ0 सर कामेश्वर सिंह संग्रहालय जो नरगौना में स्थित है, के प्रसंग में छपे समाचारों के बारे में विश्वविद्यालय से जानकारी माँगी गई। कुलसचिव ने सदन को सूचित किया कि माननीय कुलपति के आदेश से संबंधित विभागाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की माँग तुरत की गई थी। विभागाध्यक्ष ने सूचित किया कि उक्त संग्रहालय की साफ–सफाई प्राय हर दो–तीन महिने पर कराई जाती है। इस कार्य में वे स्नातकोत्तर विभाग के छात्र–छात्राओं का सहयोग लेते हैं। इस बार भी कुल आठ छात्र–छात्राएँ इस कार्य हेतु गये थे जो सभी स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के ही हैं। सफाई में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था। सभी आठ छात्र/छात्राओं के हस्ताक्षर लिये गये थे और उन्हीं के निर्देशन में सफाई कराई गई। छात्रों की निगरानी करने में उनसे कुछ चूक हुई जिसके लिए उन्होंने लिखित खेद व्यक्त किया है। यह भी सूचित किया गया कि उक्त संग्रहालय के किसी भी सामग्री में कोई टूट–फूट नहीं हुई है और ये सारे यथावत् सुरक्षित हैं। कुलसचिव ने यह भी कहा कि माननीय कुलपति ने आदेश देने की कृपा की है कि संग्रहालय के सभी वस्तुओं को शीशे के भीतर रखने की व्यवस्था की जाय ताकि ये सुरक्षित रहें और सफाई के समय अथवा अन्य समय इसे कोई स्पर्श नहीं कर सके। **सदन ने ध्वनिमत से इस आदेश के लिए कुलपति को साधुवाद दिया। सदन ने विश्वविद्यालय परिसर में महाराधिराज डॉ0 सर कामेश्वर सिंह की आदम कद भव्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी कुलपति–सह–अध्यक्ष को हार्दिक अभिनन्दन किया। यह भी निर्णय लिया गया कि दोषी छात्र/छात्राओं के ऊपर उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।**

कुलसचिव ने कहा कि अब मैं अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में शामिल मदों पर विचार हेतु सदन से अनुरोध करता हूँ। मद संख्या – 1 जो गत बैठक दिनांक 27.11.2022 की सम्पुष्टि है, पर विचार किया जाय।

मद सं0 1. अभिषद की गत बैठक दिनांक 27.011.2022 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय : सर्वसम्मति से उपर्युक्त संशोधनों के साथ गत बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।

मद सं0 2. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 02.12.2022 को निर्गत सम्पूर्ण कार्यसूची के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 3. सिनेट सदस्यों से प्राप्त लिखित प्रश्नों एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये उत्तरों पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से अभिषद के दो सदस्यों की समिति गठित कर प्रश्नोत्तरी की जाँच कर ले एवं आगामी सिनेट में प्रस्तुत करें।**

अन्यान्य मद.1. प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि सी0एम0 साईन्स कॉलेज में "इन्डस्ट्रियल केमेस्ट्री" की पढाई पुनः प्रारम्भ करने हेतु सिनेट से पारित कराना आवश्यक है। इसलिये इसे इस सदन से पारित करते हुए सिनेट की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जाये ताकि वहाँ से पारित करा कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

निर्णय: इसे अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद. 2. प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि अभिषद द्वारा अनुमोदित एवं नई–शिक्षण कार्यक्रम समिति तथा विद्वत् परिषद द्वारा अनुशंसित बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 संबंधी जो प्रस्ताव सिनेट के

13.12.22

Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण कार्यसूचि के मद संख्या 10 में प्रस्तावित है उसमें शिक्षण सत्र 2023–24 से प्रारम्भ करने के स्थान पर सत्र 2022–23 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा जाय।

निर्णय: तदनुसार सिनेट में प्रस्ताव रखने की स्वीकृति दी गई।

अन्यान्य मद 4. डॉ० वैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव किया कि स्व० बिलट महथा की प्रतिमा बी०एम०ए० कॉलेज, बहेड़ी, दरभंगा में स्थापित करने हेतु उनके परिवार से उन्हें प्राप्त हुआ है जिस पर यह सदन विचार कर अनुमति दे।

निर्णय: सदन को सूचित किया गया कि अभिषद् में पूर्व में ही मूर्ति स्थापना के संबंध में एक निर्णय हो चुका है कि महाविद्यालय से उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाय, के अनुसार इस मामले पर भी कार्रवाई की जायेगी।

अंत में कुलसचिव, प्रो० मुश्ताक अहमद ने माननीय सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग के लिये आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/–
(प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ह0/–
(प्रो० मुश्ताक अहमद)
कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांक:– UB–681/22 दिनांक:– 13/12/2022

प्रतिलिपि प्रेषित:–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना,
5. सभी पदाधिकारी, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

13.12.22
कुलसचिव

13/12/2022

Scanned with CamScanner